

सहकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर

राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला मई, 2015

बिड शुल्क 500/- रूपयें

तकनीकी बिड

बिड क्रमांक :
फर्म का नाम :
तकनीकी बिड :

सहकारिता विभाग एवं राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर द्वारा दिनांक 21.05.2015 से 26.05.2015 तक जवाहर कला केन्द्र, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर के दक्षिणी परिसर पर आयोजित किये जा रहे राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला मई, 2015 की सम्पूर्ण व्यवस्था, इवेन्ट मैनेजमेन्ट के रूप में किए जाने हेतु आमंत्रित बोली की शर्तों व नियमों तथा कार्य विवरण को मैंने/हमने भली भांती पढ लिया है एवं मुझे/हमें स्वीकार्य है।

क्र. सं.	अमानत राशि	बैंक का नाम/ नगद जमा रसीद नं.	डी.डी. संख्या	दिनांक
1	30,000 /- (अक्षरे तीस हजार रूपये मात्र)			

(बैंक ड्राफ्ट/नकद जमा की रसीद तकनीकी निविदा के लिफाफे में रखे)

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम पता मय मोहर

दिनांक : टेलिफोन नम्बर :
स्थान : मोबाईल दूरभाष नम्बर :

विशेष नोट :-

- उक्त एक मुश्त वित्तीय बोलीदाता आवेदक फर्म द्वारा वित्तीय बोली के लिफाफे में ही दी जानी है। अमानत राशि का डीडी/नगद जमा की रसीद तकनीकी बोली के साथ रखी जानी है।
- बोली अन्तिम दिनांक 08.05.2015 दोपहर 2:00 बजे तक कमरा नं. 237, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., द्वितीय तल, नेहरू सहकार भवन, 22-गोदाम, भवानी सिंह रोड़, जयपुर में जमा करवायी जा सकेगी।
- बोली दिनांक 08.05.2015 को 3:00 बजे निविदा समिति एवं उपस्थित बोलीदाताओं के सम्मुख कमरा नं. 204, कार्यालय अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय), सहकारी समितियां राजस्थान, द्वितीय तल, नेहरू सहकार भवन, 22-गोदाम, भवानी सिंह रोड़, जयपुर में खोली जावेगी।
- बोली के साथ मेले की अनुमानित लागत लगभग 15.00 लाख रूपये के लिये अमानत राशि 2 प्रतिशत (30,000/- रूपये) का डी.डी./नगद राशि "उपहार कोष, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर" के नाम से देय होगी, जो सफल बोलीदाता की नियमानुसार 5 प्रतिशत धरोहर राशि में समायोजित की जायेगी एवं अन्य बोलीदाताओं को वापस कर दी जायेगी।
- तकनीकी/वित्तीय बिड अलग-अलग लिफाफों पर अंकित करके निर्धारित तिथि पर प्रस्तुत करनी होगी।

सहकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर

राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला मई, 2015

बिड क्रमांक :

फर्म का नाम :

तकनीकी बिड की शर्तें

राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला दिनांक 21.05.2015 से 26.05.2015 तक जवाहर कला केन्द्र, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर के दक्षिणी परिसर पर आयोजन हेतु ऑक्टोनम स्टॉल्स/पेवेलियन्स का निर्माण, मंच तैयार करने, सम्पूर्ण मेला स्थल की साज सज्जा, बैकड्रॉप, ध्वनि प्रसारण, एंकरिंग (माइक व्यवस्था) बिजली, पानी व्यवस्था चौकीदारी (सुरक्षा व्यवस्था), पार्किंग व्यवस्था, मेले की थीम, बच्चों के खेलने हेतु निःशुल्क किड्स जोन, मेले मॉनेटरिंग व्यवस्था हेतु सी.सी.टी.वी. कैमरे व अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था के लिए निम्नलिखित कार्य करने होंगे :-

1. सहकारी विभाग, राजस्थान एवं राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के संयुक्त तत्वाधान में 10 गुणा 10 की साइज की 100 ऑक्टोनम स्टॉल्स का निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुसार लेआउट प्लान प्रस्तुत करना होगा। अनुमोदित लेआउट के अनुसार स्टॉल्स का निर्माण कार्य करना होगा। इसके साथ ही वाटरप्रूफ कन्ट्रोल रूम (2 स्टॉल्स के बराबर) व वी.आई.पी. लाउन्ज (5 स्टॉल्स के बराबर जिसमें एक स्टॉल का स्थान पानी एवं सामान रखने का पृथक पार्टिशन होगा) पेवेलियन जिसमें तीस व्यक्ति एक साथ बैठ सके की भी व्यवस्था करनी होगी साथ ही वी.आई.पी. लाउन्ज में दो केमिकल टॉयलेट एवं ऐयर कन्डीशनर की व्यवस्था करनी होगी। निर्देशानुसार 60x75 फीट साइज में वाटरप्रूफ पाईप पण्डाल में फूड कोर्ट मय फर्नीचर अलग से तैयार करके देना होगा।
2. पेवेलियन का निर्माण पाईप पण्डाल पद्धति से करना होगा। साथ ही सभी स्टॉल्स/पेवेलियनों की पानी से सुरक्षा के लिए वाटरप्रूफिंग करनी होगी। छत की लम्बाई एवं उंचाई 15 गुणा 15 फीट होगी। स्टॉल की ऊँचाई से लेकर पेवेलियन की उचाई तक सामने की ओर सफेद/ऑफ व्हाइट रंग के नये कपड़े की फेसिंग/फेशिया भी करनी होगी। सभी स्टॉल्स के आगे, कन्ट्रोल रूम व वी.आई.पी. लाउन्ज के आगे की ओर 15 फीट की लम्बाई में पाईप पण्डाल पद्धति से छाया की व्यवस्था करनी होगी।
3. सभी स्टॉल्स/पेवेलियनों में लकड़ी की फ्लोरिंग के साथ ही पूरे मेला स्थल पर कारपेट की व्यवस्था करनी होगी। स्टॉलों के पीछे सुरक्षा की दृष्टि से टीनशैड की फेसिंग लगानी होगी।

सहकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर

राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला मई, 2015

4. प्रत्येक स्टॉल्स में दो टेबिल ऑक्टोनाम फ़िल कवर सहित, एक लकड़ी की टेबिल 3 गुणा 6 सादा मय टेबल कवर, दो लोहा रैक्स 6 गुणा 3 फीट, दो कुर्सियां और बिजली की पर्याप्त व्यवस्था हेतु दो ट्यूब लाईट लगानी होगी तथा एक पृथक से बिजली का पाइन्ट अतिरिक्त देना होगा एवं स्टॉल को रात्रि में बंद करने के लिए कनात की व्यवस्था करनी होगी।
5. सभी स्टॉल्स पर एकरूपता से कम्प्यूटराईज्ड नाम पट्टिका लगवानी होगी। नाम बड़े साईज (फोन्ट) में लिखा जायेगा।
6. मेला स्थल पर दोनो गेटों पर मेला प्रबन्ध समिति/मेला स्थल समन्वय समिति के निर्देशानुसार डिजाइन का स्वागत द्वार का निर्माण का साइज कमेटी के निर्देशानुसार करना होगा। साथ ही दोनो दरवाजों पर निर्देशानुसार आकर्षक ढंग से राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला मई, 2015 दिनांक 21.05.2015 से 26.05.2015 तक का अंकन करना होगा। गेट भव्य एवं आकर्षक होने चाहिए। जिसमें मेले के लागों का प्रदर्शन मुख्य गेट एवं स्टेज पर करना होगा। मुख्य दरवाजे के पास समस्त स्टॉलों के नाम व स्टॉल क्रमांक के प्लेक्स बनाकर लगाने होंगे। नामों की सूची स्टॉल आवंटन समिति द्वारा उपलब्ध करवायी जायेगी।
7. राष्ट्रीय सहकार मसाले मेले के ध्वनि प्रसारण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एंकरिंग की व्यवस्था और मंच पर समस्त मेला अवधि के लिए ध्वनि प्रसार की व्यवस्था (5 माईक सेट, 15 स्पीकर, दो कोर्डलैस, दो मॉनिटर, 6 टॉप, ईको साउण्ड, प्रकाश व्यवस्था एवं एक उद्घोषक) करनी होगी।
8. मेला स्थल पर निर्देशानुसार 20 गुणा 40 फीट साईज में मंच निर्माण तथा 20 गुणा 10 फीट साईज में विभाग द्वारा अनुमोदित डिजाइन के अनुसार बैकड्राप का निर्माण करना होगा।
9. मेला स्थल पर सम्पूर्ण मेला अवधि में प्रतिदिन सम्पूर्ण सफाई की व्यवस्था दिन में दो बार व आवश्यकतानुसार करनी होगी। सफाई प्रातः 8 बजे एवं सायं 4 बजे करनी होगी। समुचित सफाई कर्मचारी 24 घन्टे मेला स्थल पर उपलब्ध रखने होंगे।
10. स्टेज की आकर्षक ढंग से तत्समय दिये गये निर्देशानुसार साज सजावट करनी होगी तथा उद्घाटन एवं समापन समारोह पर फूलों का डेकोरेशन तथा स्टॉल्स के सामने 300 गमलों में ओरनामेन्टल पौधों की व्यवस्था करनी होगी। स्टेज पर मेला उद्घाटन व समापन समारोह एवं आवश्यकतानुसार मेला अवधि में 15 वी.आई.पी. कुर्सी मय लकड़ी की टेबल फ़िल कवर, एक डायस सहित उपलब्ध करवानी होगी।
11. मेला अवधि में आयोजित समारोह के उद्घाटन, समापन व सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए लगभग 300 व्यक्तियों के बैठने के लिए क्रोम की कुर्सियों की व्यवस्था पण्डाल में करनी होगी। मंच के सामने पाईप पण्डाल में 300 व्यक्तियों के

सहकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर

राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला मई, 2015

बैठने की छाया व्यवस्था कारपेट व बड़े कूलर सहित करनी होगी। पाण्डाल की अग्र पंक्ति में 6 साधारण सोफासेट एवं 40 वी.आई.पी. कुर्सियाँ कवर सहित लगानी होगी तथा 6 बड़े कूलर की व्यवस्था करनी होगी।

12. स्टॉल्स के समानान्तर सामने की ओर कारपेट की व्यवस्था व मेला स्थल पर 300 गमले मौसमी फूलों ओरनामेन्टल पौधों की नियमित व्यवस्था करनी होगी।
13. मेला स्थल पर पीने के पानी के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था ढक्कनदार 10 टंकियों, 20 बड़े मटकों एवं 2 एक्वागार्ड मशीन सहित करनी होगी। वी.आई.पी. लाउन्ज व कन्ट्रोल रूम में 20 मिनरल वॉटर के प्रतिदिन केम्पर की व्यवस्था अलग से करनी होगी। शर्तों के अनुसार मेला स्थल की स्टॉलों में रखे स्टॉक आदि का 1.00 करोड का बीमा व सुरक्षा गार्डों की व्यवस्था करनी होगी।
14. मेला स्थल के मध्य एक झरना गोलाई में 30 फुट व्यास में स्वचालित घूमनेवाला जिस पर फव्वारों की व्यवस्था 20 रंगीन लाइटों सहित करनी होगी। एक श्री विनायक जी महाराज प्रतिमा, दो टेबल कवर सहित स्टेज पर लगानी होगी, जिस पर लाईटिंग व बड़े स्टेण्डिंग दीपक की व्यवस्था भी करनी होगी।
15. आवश्यकतानुसार अन्य कार्य मौके पर मेला प्रबन्धन कमेटी/मेला स्थल समन्वय कमेटी के बताये अनुसार करने होंगे। बिड में उल्लेखित कार्यों/व्यवस्थाओं से अतिरिक्त व्यवस्था या अधिक मात्रा के लिए इवेन्ट में सामान के प्रयोग करने के लिए बोलीदाता को लिखित में मेला प्रबंध कमेटी अध्यक्ष से कार्यादेश लेने होंगे तथा संबंधित कमेटी से किये गये अतिरिक्त कार्य को प्रमाणित करवाना होगा ताकि भुगतान में समस्या उत्पन्न नहीं हो।
16. बोलीदाता द्वारा पूर्व में किये गये कार्य के अनुभव के प्रमाण स्वरूप इवेन्ट के रूप में किये गये कार्यों के लिए प्राप्त कार्यादेशों एवं अनुभव प्रमाण पत्र, इवेन्ट व विभाग के नाम का विवरण व फोटों प्रतियां बोली के साथ संलग्न करें।
17. बोलीदाता की प्रदायक क्षमता का बैंक प्रमाण पत्र व 50.00 लाख रु. वार्षिक टर्नओवर बिड के साथ प्रस्तुत किया जाए। इसके लिये निविदादाता को गत 1 वर्ष के चार्टर्ड अकाउन्टेण्ड द्वारा अंकेक्षित लेखों की ऑडिट रिपोर्ट/अन्तिम लेखों की प्रति संलग्न करनी होगी। साथ ही इवेन्ट कार्यक्रम आयोजित करने का अनुभव प्रमाण-पत्र आवश्यक है। इसके लिए फर्म को मिले कार्यादेशों/अनुभव प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रति लगानी होगी। फर्म को शॉप रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र, आयकर के गत वर्षों में प्रस्तुत आयकर विवरणिका/वैट/सर्विसटैक्स सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने होंगे। पैनकार्ड फर्म के मालिक के नाम या फर्म के नाम से होना आवश्यक है।
18. बोलीदाता को सम्पूर्ण मेले में सीजफायर उपकरणों की आवश्यकतानुसार व्यवस्था करनी होगी।

सहकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर

राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला मई, 2015

19. मेले में निविदादाता को निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था, मेले में बच्चों के खेलने हेतु निःशुल्क किड्स जोन की व्यवस्था करनी होगी।
20. बोलीदाता को तकनीकी बिड के आधार पर मेले में लगाये जाने वाले स्टॉल्स तथा प्रयोग में लाये जाने वाले मैटेरियल, फ्लोरिंग, कारपेट इत्यादि का डिस्प्ले निर्देशानुसार दिए गए समय पर करना होगा तथा संतोषजनक पाये जाने पर ही उसको तकनीकी रूप से योग्य फर्मों की सूची में शामिल किया जा सकेगा।
21. मेले की मॉनेटरिंग व्यवस्था हेतु 10 सी.सी.टी.वी. कैमरे आदि की पूर्ण व्यवस्था करनी होगी। मेले परिसर में सुरक्षा एवं मॉनेटरिंग हेतु लगाये गये सी.सी.टी.वी कैमरों का संचालन, नियंत्रण एवं तकनीकी रख-रखाव कन्ट्रोल रूम के अधीन करना होगा।
22. मेले में स्टॉलों से क्रय की गई मिर्ची, हल्दी, धनियाँ आदि साबूत मसालों की पिसाई हेतु 5 चक्कियाँ मय विधुत कनेक्शन व पिसाईमैन सहित व्यवस्था करनी होगी।
23. मेला समाप्ति के पश्चात् सम्पूर्ण मेला परिसर की सफाई करवाकर मेला स्थल प्रबन्धक को संभलवाना होगा अन्यथा सफाई व्यवस्था हेतु लगने वाली राशि की कटौती बोलीदाता के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बिल से कर ली जावेगी।

सहकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर

राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला मई, 2015

वित्तीय बिड

बिड क्रमांक :
फर्म का नाम :
वित्तीय बिड :

सहकारिता विभाग एवं राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर द्वारा दिनांक 21.05.2015 से 26.05.2015 तक जवाहर कला केन्द्र, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर के दक्षिणी परिसर पर आयोजित किये जा रहे राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला मई, 2015 की सम्पूर्ण व्यवस्था, इवेन्ट मैनेजमेन्ट के रूप में किए जाने हेतु आमंत्रित बोली की शर्तों व नियमों तथा कार्य विवरण को मैंने/हमने भली भांती पढ लिया है एवं मुझे/हमें स्वीकार्य है तथा इसके लिए मैं/हम पैकेज के रूप में बिड प्रपत्र में (अंकित सामान व अन्य आवश्यक सामान सहित) सर्विस टैक्स/वैट टैक्स/टी.डी.एस. आदि वैधानिक दायित्व सहित एक मुश्त निम्नलिखित दर देता हूँ/देते हैं :-

अंके रूपये	/- (सर्विस टैक्स/वैट टैक्स/टी.डी.एस. आदि वैधानिक दायित्व सहित)
अक्षरे रूपये	मात्र

बोलीदाता द्वारा तकनीकी बिड में संलग्न की गई अमानत राशि का विवरण
(बैंक ड्राफ्ट/नकद जमा की रसीद तकनीकी निविदा के लिफाफे में रखें)

क्र.सं.	अमानत राशि	बैंक का नाम/ नगद जमा रसीद नं.	डी.डी. संख्या	दिनांक
1	30,000/- (अक्षरे तीस हजार रूपये मात्र)			

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम पता मय मोहर

दिनांक : टेलिफोन नम्बर :
स्थान : मोबाईल दूरभाष नम्बर :

विशेष नोट :-

1. उक्त एक मुश्त वित्तीय बोलीदाता आवेदक फर्म द्वारा वित्तीय बोली के लिफाफे में ही दी जानी है। अमानत राशि का डीडी/नगद जमा की रसीद तकनीकी बोली के साथ रखी जानी है।
2. बोली अन्तिम दिनांक 08.05.2015 दोपहर 2:00 बजे तक कमरा नं. 237, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., द्वितीय तल, नेहरू सहकार भवन, 22-गोदाम, भवानी सिंह रोड़, जयपुर में जमा करवायी जा सकेगी।
3. बोली दिनांक 08.05.2015 को 3:00 बजे निविदा समिति एवं उपस्थित बोलीदाताओं के सम्मुख कमरा नं. 204, कार्यालय अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय), सहकारी समितियां राजस्थान, द्वितीय तल, नेहरू सहकार भवन, 22-गोदाम, भवानी सिंह रोड़, जयपुर में खोली जावेगी।
4. बोली के साथ मेले की अनुमानित लागत लगभग 15.00 लाख रूपये के लिये अमानत राशि 2 प्रतिशत (30,000/- रूपये) का डी.डी./नगद राशि "उपहार कोष, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर" के नाम से देय होगी, जो सफल बोलीदाता की नियमानुसार 5 प्रतिशत धरोहर राशि में समायोजित की जायेगी एवं अन्य बोलीदाताओं को वापस कर दी जायेगी।
5. तकनीकी/वित्तीय बिड अलग-अलग लिफाफों पर अंकित करके निर्धारित तिथि पर प्रस्तुत करनी होगी।

सहकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर

राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला मई, 2015

बिड क्रमांक :

फर्म का नाम :

वित्तीय बिड

राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला मई, 2015 दिनांक 21.05.2015 से 26.05.2015 तक हेतु ऑक्टोनम स्टॉल्स/पेवेलियन्स का निर्माण पाईप पाण्डाल पद्धति से, मंच तैयार करने, सम्पूर्ण मेला स्थल की साज सज्जा, बैकड्रॉप, ध्वनि प्रसारण, एंकरिंग, बिजली, पानी व्यवस्था, चौकीदारी सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, मेले की थीम, बच्चों के खेलने हेतु निःशुल्क किड्स जोन, मेले मॉनेटरिंग व्यवस्था हेतु सी.सी.टी.वी कैमरे व अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था आदि के लिए बिड नीचे लिखे प्रारूप में प्रस्तुत करें, सहकार मसाला मेला मई, 2015 में किये जाने वाले कार्यों का विवरण परिशिष्ट "अ" एवं बोलीदाता शर्तें परिशिष्ट "ब" पर संलग्न हैं।

क्र. स.	कार्य	कार्य का विवरण	नग	दर प्रतिदिन किराया प्रति आईटम	कुल दर सम्पूर्ण मेला अवधि के लिए
1	पेवेलियन/डोम	पेवेलियन में 10 गुणा 10 गुणा 10 साईज की ओक्टोनस स्टॉल्स, प्रत्येक स्टॉल में ओक्टोनम टेबल फ्रिल कवर सहित (2 टेबल x 100 स्टॉल) प्रत्येक स्टॉल में लकड़ी की टेबल एक (साईज 6 गुणा 3), प्रत्येक स्टॉल में ट्यूब लाईट 2, प्रत्येक स्टॉल में बिजली पाईन्ट 1, प्रत्येक स्टॉल में सिलिंग फेन-1 पेवेलियन/डोम परिसर में पेडेस्टल फेन पेवेलियन/डोम परिसर में बड़े कूलर	100 200 100 200 100 100 25 10		

सहकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर

राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला मई, 2015

		प्रत्येक स्टॉल में लकड़ी की फ्लोरिंग कारपेट के साथ (छत की लम्बाई एवं ऊँचाई 15X15) पोडियम वी.आई.पी. चेयर के सामने डेस्क मय फ्रिल कवर (3X8 फीट) डेस्क पर फलावर/गुलदस्ता प्रतिदिन	100 1 1 4		
		रैक्स (लोहा) 3 गुणा 6 फीट कुर्सी (स्टॉलों के अन्दर) मेज कवर (स्टॉलों में)	200 200 100		
2	मंच स्टेज	बैकड्रॉप 20X10 सहित मंच/स्टेज कारपेट सहित (साईज 20X30), मंच/स्टेज पर बड़े कूलर एवं स्प्रे फेन मंच/स्टेज पर पेडेस्टल फेन मंच/स्टेज के सामने पाईप पाण्डाल कारपेट सहित (300 व्यक्तियों के बैठने हेतु), पाण्डाल हेतु सिलिंग फेन, पाण्डाल हेतु बड़े कूलर पाण्डाल हेतु पेडेस्टल फेन उद्घाटन व समापन समारोह तथा आवश्यकतानुसार मंच पर 15 व्यक्तियों के लिये वी.आई.पी. कुर्सी पाण्डाल में 300 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था क्रोम कुर्सी सहित, पाण्डाल की अग्र पंक्ति में साधारण सोफासेट वी.आई.पी. कुर्सियाँ (मय कवर) स्टेज पर टेबल (मय कवर), जिस पर बड़े दीपक की व्यवस्था हो मंच के पास दो स्टॉल का ग्रीनरूम	1 2 4 1 20 6 10 15 300 6 40 1		

सहकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर

राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला मई, 2015

		कारपेट सहित, 1 कूलर	1 1		
3	वीआईपी लाउन्ज	5 स्टॉल के बराबर वीआईपी लाउन्ज मय कारपेट, वी.आई.पी. कुर्सी, सौफा सैट, सेंटर टेबल एयर कण्डीशनर वीआईपी लाउन्ज में एक स्टॉल पानी एवं सामान रखने के लिए पृथक पार्टीशन प्रकाश की व्यवस्था, केमिकल टॉयलेट, पानी के कैम्पर प्रतिदिन वी.आई.पी. लाउन्ज के आगे 15 फीट लम्बी पाईप पद्धति से 30X30 फीट पाण्डाल	1 25 3 2 3 1 20 1		
4	कन्ट्रोल रूम	कन्ट्रोल रूम दो स्टॉल्स के बराबर मय कारपेट फ्लोरिंग मय प्रकाश व्यवस्था कुर्सी आक्टोनम टेबिल व प्रकाश व्यवस्था, माईक रिसिवर कनेक्शन सहित, बड़े कूलर, सिलिंग फैन, टेलीफोन कनेक्शन हेतु विधुत सॉकिट बोर्ड, मिनरल पानी के कैम्पर प्रतिदिन	1 25 8 1 3 6 1 20		

सहकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर

राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला मई, 2015

5	मुख्य द्वार	गेट पर जवाहर कला केन्द्र, जयपुर के मैदान पर दोनो दरवाजों पर मेला स्थल समन्वय समिति/मेला प्रबन्ध कमेटी द्वारा निर्धारित नमूना अनुसार गेट का निर्माण आकर्षक रंग से राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला मई, 2015 दिनांक 21.05.2015 से 26.05.2015 तक का अंकन तथा बिजली सजावट सहित।	2		
6	माईक व्यवस्था	माईक व्यवस्था उद्घाटन व समापन एवं सम्पूर्ण मेला अवधि में – साउण्ड मशीन माईक सेट स्पीकर, कोर्डलेस, मॉनीटर, टॉप, इको साउण्ड व प्रकाश व्यवस्था)	1 5 15 2 2 6		
7	एंकरिंग व्यवस्था	एंकरिंग व्यवस्था हेतु – माईक स्पीकर उद्घोषक	1 1 2		
8	मेला स्थल पर	ट्यूब लाईट स्टॉलों सहित	400		
		हेलोजिन लाईट (आवश्यकतानुसार कम-ज्यादा की जा सकती है)	125		
		बल्ब रोशनी	400		
		मेट्रो लाईट (मरकरी) व्हाईट	20		
		पावरपाइन्ट,(डेयरी, फूड कोर्ट, कंट्रोल रूम, वीआईपी रूम, मंच लाईटिंग, वीडियो रिकार्डिंग इत्यादि के लिए)	11		
		मेला स्थल की सम्पूर्ण सफाई व्यवस्था एवं 24 घण्टे पर्याप्त सफाई कर्मचारी उपलब्ध रहेंगे	04		

सहकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर

राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला मई, 2015

	गमले (मौसमी फूलों/ऑरनामेन्टल पौधों सहित) स्टेज व स्टॉलों के सामने तथा मेला परिसर में सजावट हेतु प्रतिदिन 500 फूलों के गमले सम्पूर्ण अवधि तक	300		
	सुरक्षा गार्ड प्रत्येक पारी में 8 गार्ड (प्रति पारी 8 घन्टे) कुल 3 पारी	24 गार्ड प्रति दिन		
	पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था— बड़े मटके जग सहित,	20		
	ढक्कनदार टंकियाँ मये ठण्डे पानी के छाया सहित	10		
	स्टॉल, कन्ट्रोल रूम, वीआईपी लाउन्ज नाम पट्टिका	150		
	स्टॉलों के चारों ओर सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यकतानुसार टीनशैड की फेंसिंग व्यवस्था (अनुमानित 1500 फीट लम्बाई)			
	मेला स्थल के मध्य झरना गोलाई में 30 फुट व्यास स्वचालित घूमने वाला	1		
	श्री विनायक जी महाराज की प्रतिमा मय दो टेबल कवर	1		
	कनात स्टॉलों के अन्दर व अन्य	225		
	कारपेट—समस्त मेला क्षेत्र	समस्त मेला क्षेत्र		
	मेले के होर्डिंग व बैनर 6 गुणा 4	40		
	फूड कोर्ट बैनर,	2		
	पार्किंग बैनर,	5		
	सुविधाएँ (मुत्रालयों) के पुरुष एवं महिला के अलग—अलग बैनर साईज 4 गुणा 3 फीट	4		

सहकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर

राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला मई, 2015

	फूड कोर्ट 60 गुणा 75 फीट साईज, पाईप पाण्डाल पद्धति से वॉटरप्रूफिंग सहित	1		
	लकड़ी की मेज मय कवर	15		
	कुर्सियां फूड कोर्ट में	100		
	राउण्ड टेबल फूड कोर्ट पर	10		
	बड़े कूलर	4		
	जनरेटर सैट (इमरजेंसी में)	3		
	चक्कियाँ मय पॉवरपाइन्ट व पिसाई कर्मचारी के	5		
	सीजफायर उपकरण	30 नग		
	बड़े फ्लेक्स मुख्य दरवाजे के पास	2		
	सभी 100 स्टॉलों के नाम व दुकान नम्बर, बिक्री उत्पाद के उल्लेख सहित बनवाने होंगे।	100		
	मेले की पार्किंग व्यवस्था के लिए— निःशुल्क कूपन, पार्किंग लाइन, पार्किंग बैनर 2 गुणा 2 गार्ड (पार्किंग हेतु)	मांग के अनुसार 8 6		
	मेले में बच्चों के खेलने हेतु निःशुल्क किड्स जोन में — झूले, चकरी, फिसलपट्टी, स्कूटर—कार आदि	2 2 2 2		
	मेले की मॉनेटरिंग व्यवस्था हेतु सी.सी.टी.वी कैमरे आदि	15		
मेला समाप्ति के पश्चात् सम्पूर्ण मेला परिसर की सफाई करवाकर मेला स्थल प्रबन्धक को संभलवाना होगा अन्यथा सफाई व्यवस्था हेतु लगने वाली राशि की कटौती बोलीदाता के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बिल से कर ली जावेगी।				

सहकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर

राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला मई, 2015

नोट :-निम्नलिखित आईटम्स की दरे अलग से देनी होगी जो स्टॉल धारक को आवश्यकतानुसार उपलब्ध करानी होगी, जिसका खर्चा स्टॉलधारक से स्वयं बोलीदाता निर्धारित दर से वसूल करेंगे :-

दर प्रति नग प्रति दिवस

क्र.सं.	नाम वस्तु	दर	क्र.सं.	नाम वस्तु	दर
1	गद्दा		8	आक्टोनम टेबल	
2	चद्दर		9	विद्युत पाईन्ट	
3	तकिया		10	पानी कैम्पर (15 लीटर)	
4	कनात		11	दरी 6 गुणा 4 मीटर	
5	टेबल लकडी		12	एयर कण्डीशनर	
6	टेबल कवर		13	बड़े कूलर	
7	रैक लोहा 6 गुणा 3				

सहकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर

राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला मई, 2015

परिशिष्ट "अ"

कार्यो का विवरण

राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला मई, 2015 दिनांक 21.05.2015 से 26.05.2015 तक हेतु ऑक्टोनम स्टॉल्स/पेवेलियन्स का निर्माण पाइप पण्डाल पद्धति से, मंच तैयार करने, सम्पूर्ण मेला स्थल की साज सज्जा, बैकड्रॉप, घ्वनि प्रसारण, एंकरिंग, बिजली, पानी व्यवस्था, चौकीदारी सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, मेले की थीम, बच्चों के खेलने हेतु निःशुल्क किड्स जोन, मेले मॉनेटरिंग व्यवस्था हेतु सी.सी.टी.वी कैमरे एवं अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था के अन्तर्गत बोली के लिए निम्नलिखित कार्य करने होंगे:-

1. सहकारी विभाग, राजस्थान एवं राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के संयुक्त तत्वाधान में जयपुर के जवाहर कला केन्द्र, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर के दक्षिणी परिसर पर आयोजित किये जा रहे राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला मई, 2015 दिनांक 21.05.2015 से 26.05.2015 तक आयोजित सहकार मसाला मेले में 10 गुणा 10 फीट साईज की 100 ऑक्टोनम स्टॉल्स मय 2 ऑक्टोनम टेबल फ्रिल कवर सहित एवं 6 गुणा 3 फीट साईज की लकडी की सादा टेबिल मेजपोश, 2 ट्यूबलाईट प्रकाश व्यवस्था सहित निर्माण अनुमोदित नक्शे एवं डिजाइन के अनुसार करना होगा तथा स्टॉल्स की ऊंचाई 10 फीट तथा कवरिंग छत उंचाई 13 फीट की होगी।
2. स्टॉलों के आगे 15 फीट लम्बाई में पाइप पाण्डाल पद्धति से कारपेट सहित छाया की व्यवस्था करनी होगी। सभी पेवेलियन एवं स्टॉल्स की संतोषजनक स्थिति में तैयार कर दिनांक 20.05.2015 को दोपहर 3:00 बजे तक आयोजकों को अवगत कराना होगा। यदि समय पर कार्य नहीं किया गया तो धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी एवं निविदादाता के खर्चे पर आकस्मिक तौर पर अन्य से कार्यवाही करवाकर व्यवस्था की जावेगी, जिसके समस्त हर्जे, खर्चे का दायित्व बोलीदाता का होगा।
3. सभी स्टॉल्स/पेवेलियनों में लकडी की फ्लोरिंग के साथ ही कारपेट भी लगानी होगी। सभी स्टॉलों के आगे उपलब्ध समस्त रिक्त स्थान पर एक ही रंग की कारपेट लगानी होगी।
4. स्टॉल्स में दो ऑक्टोनम टेबिल फ्रिल कवर सहित, एक टेबिल लकडी साईज 3 गुणा 6 मय मेज कवर, दो कुर्सियाँ, दो लोहा रैक्स 6 गुणा 3 और बिजली की पर्याप्त व्यवस्था दो ट्यूब लाईट के अतिरिक्त एक पृथक से बिजली का पाइन्ट अतिरिक्त देना होगा एवं स्टॉल बंद करने हेतु कनात की व्यवस्था करनी होगी।

सहकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर

राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला मई, 2015

5. पाईप पाण्डाल पद्धति से कन्ट्रोल रूप के अतिरिक्त वीआईपी लाउन्ज का पैवेलियन 5 स्टॉल्स के बराबर मय फ्लोरिंग प्रकाश व्यवस्था से तैयार करना होगा। इसमें 3 अच्छे सौफासेट, 2 सेंटर टेबल, 25 कुर्सियाँ कवर सहित, 3 एयर कण्डीशनर, 1 केमिकल टॉयलेट की व्यवस्था करनी होगी।
6. जवाहर कला केन्द्र, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर के दक्षिणी परिसर पर दो गेटो पर स्वागत द्वार का निर्माण करना होगा। साथ ही दोनो दरवाजों पर निर्देशानुसार आकर्षक ढंग से "राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला मई, 2015" दिनांक 21.05.2015 से 26.05.2015 तक का अंकन करना होगा तथा बिजली की सजावट करनी होगी। गेट भव्य एवं आकर्षक होने चाहिए जो मेले के लोगो सहित किसी ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि पर आधारित होंगे।
7. राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले में ध्वनि प्रसार की व्यवस्था के अर्न्तगत 5 माईक सेट, 15 स्पीकर, 2 कोर्डलैस, इकोसाउण्ड, 2 मॉनीटर, 6 टॉप और प्रकाश की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही 1 एंकर/उद्घोषक की व्यवस्था भी करनी होगी। जिसका समय मेला अवधि प्रातः 11 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक होगा।
8. 20X10 साईज मंच का निर्माण तथा 20X40 साईज में बैकड्राप का निर्माण करना होगा। मंच व्यवस्था में 15 विशिष्टजनों के बैठने की व्यवस्था मय ऑक्टोनम टेबल फ्रिल कवर उद्घाटन एवं समापन समारोह सहित की जानी है।
9. सभी स्टॉल्स पर एकरूपता से नाम लिखवाई करनी होगी। नाम बड़े साईज (फोन्ट) में लिखे जायेंगे।
10. मेला स्थल पर सम्पूर्ण मेला अवधि में प्रतिदिन प्रातः 8.00 बजे एवं सायं 6:00 बजे एवं आवश्यकतानुसार सम्पूर्ण सफाई व्यवस्था करनी होगी। पर्याप्त सफाई कर्मचारी सम्पूर्ण मेला अवधि में मेला स्थल पर उपलब्ध करवाने होंगे।
11. उद्घाटन व समापन समारोह के दिन फूल मालाओं व मौसमी फूलों के गमलों की अतिरिक्त व्यवस्था करनी होगी जो सजावट में ही मानी जायेगी तथा स्टेज की आकर्षक ढंग से तत्समय दिये गये निर्देशानुसार साज सजावट करनी होगी।
12. मेला अवधि में उद्घाटन एवं समापन समारोह में 300 व्यक्तियों के लिए एवं इसके अतिरिक्त सभी कार्यक्रमों में 300 व्यक्तियों के बैठने के लिए क्रोम की कुर्सियों की व्यवस्था पाण्डाल में करनी होगी। मंच के ऊपर 15 वीआईपी तथा मंच के सामने व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था के लिये कारपेट व स्टॉल में पाईप पाण्डाल पद्धति से छाया व्यवस्था करनी होगी।
13. स्टॉल्स के सामने कारपेट व्यवस्था, मेला स्थल पर मौसमी फूलों के पौधों की व्यवस्था करनी होगी। मेला स्थल पर मेले के लिए 300 गमले मौसमी फूलों/ओरनामेन्टल पौधों के गमले नियमित रूप से रखने होंगे।

सहकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर

राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला मई, 2015

14. मेला स्थल पर पर्याप्त मात्रा में प्रकाश व्यवस्था के लिये ट्यूब लाईट, हेलोजन, बल्ब आदि की निविदानुसार व्यवस्था करनी होगी। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला मई, 2015 हेतु पावर सप्लाई मय सम्पूर्ण पावर खर्च सम्बन्धित बोलीदाता को वहन करना होगा। मेला अवधि में मेला समय रात्रि 10.00 बजे बाद भी 1 घंटे तक फूड कोर्ट व स्टॉलों पर प्रकाश की व्यवस्था रखनी होगी तथा रात्रि को सुरक्षा व्यवस्था हेतु पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था रखनी होगी।
15. मंच पर प्रतिदिन आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए डी.जे. साउण्ड, प्रकाश की व्यवस्था करनी होगी। दो स्टॉलों के बराबर अलग-अलग ग्रीन रूम की व्यवस्था पृथक से करनी होगी।
16. मेले में 5 मूवी स्क्रीन मय प्रोजेक्टर निर्देशानुसार पृथक-पृथक स्थानों पर लगाने होंगे।
17. अलग अलग स्थानों पर 5 डिस्पले बोर्ड लगाने होंगे।
18. मेला स्थल के मध्य गोलाई में (लगभग 30 फुट व्यास में) घूमने वाला स्वचालित चक्र/झरना जिसमें रंगीन 20 बल्ब लगाने होंगे तथा श्री विनायक जी महाराज की 1 प्रतिमा, 2 लकड़ी की मेज कवर सहित स्टेज बनाकर लगानी होगी, जिस पर नियमित रूप से स्टेण्डिंग दीपक रहेगा व प्रतिदिन नई माला प्रतिमा/मूर्ति पर लगानी होगी।
19. स्टॉल्स के अतिरिक्त मेले में मेला समिति द्वारा वांछित अन्य आवश्यक सामान जो मेला स्थल के लिये जन सुविधा व VIP के लिये आवश्यक समझी जावे। आवश्यकतानुसार अन्य कार्य मौके पर मेला प्रबन्ध कमेटी/मेला स्थल समन्वय समिति के बताये गये लिखित निर्देशों के अनुसार किये जाने होंगे।
20. मेला स्थल पर मुख्य फ्रन्ट साइड पर सतरंगी चुन्नट से आकर्षक सजावट नियमित रूप से करनी होगी।
21. बोलीदाता को मेला स्थल पर पृथक से फूड कोर्ट का निर्माण 60 गुणा 75 फीट साईज में पाईप पाण्डाल पद्धति से वॉटरप्रूफिंग करनी होगी।
22. बोलीदाता द्वारा सुविधायें (मुत्रालय पुरुष/महिला) की अलग-अलग मेला स्थल के पास ही व्यवस्था करनी होगी, जिन पर पुरुष सुविधाएँ एवं महिला सुविधाएँ, के अलग-अलग बैनर लगाने होंगे, जिसके लिए अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
23. बोली प्रपत्र में अंकित समय से अतिरिक्त समय में विधुत खर्च की दर अलग से अंकित की जावें।
24. जिला प्रशासन, मेला ग्राउण्ड के मालिक व मेला कमेटी द्वारा इवेंट आयोजन के संबंध में जारी समस्त दिशा-निर्देशों की अनुपालना का दायित्व बोलीदाता का होगा।

सहकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर

राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला मई, 2015

25. विडियोग्राफी एवं सीजफायर उपकरणों की व्यवस्था आवश्यकतानुसार बोलीदाता को करनी होगी ।
26. मेले के सुव्यवस्थित संचालन हेतु जो भी अन्य सामान्य कार्य मेला कमेटी द्वारा समुचित/आवश्यक समझे जावेंगे, वे सभी कार्य/व्यवस्था बोलीदाता को करनी होगी जो पैकेज के रूप में उल्लेखित एकमुश्त दरों के अनुसार भुगतान के योग्य होगी ।
27. आवश्यकता पडने पर दमकल विभाग द्वारा सुझाई गई व्यवस्था करनी होगी। मेला अवधि के लिए मेला स्थल पर स्टॉलों के स्टॉक का आग, पानी, चोरी आदि का बीमा 1.00 करोड़ रुपये के स्टॉक तक का 10 दिवस के लिए कराना होगा, जिसका कवरनोट कार्यादेश के दिवस ही मेला प्रबन्ध कमेटी को बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत करना होगा ।
28. मेला स्थल पर निःशुल्क पार्किंग की समुचित व्यवस्था करनी होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी ।
29. मेला स्थल पर की गई समस्त इवेंट व्यवस्थाओं का मेले की भौतिक सत्यापन कमेटी को मेले में लगाये गये सभी प्रकार के सामान एवं व्यवस्थाओं का भौतिक सत्यापन बोलीदाता द्वारा स्वयं/प्रतिनिधि के साथ कराना होगा व सत्यापन रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने होंगे, जिसे भुगतान के समय बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा ताकि इवेंट व्यवस्था का भुगतान किया जा सकेगा ।
30. मेला स्थल पर 5 चक्कियाँ मय पॉवरपाइन्ट व पिसाई कर्मचारी की व्यवस्था करनी होगी ।

सहकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर

राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला मई, 2015

परिशिष्ट " ब "

बोली की शर्तें एवं नियम

राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला मई, 2015 दिनांक 21.05.2015 से 26.05.2015 तक (6 दिवस) के आयोजन हेतु ओक्टोनम स्टॉल्स/पवेलियन का निर्माण पाइप पाण्डाल पद्धति से, मंच तैयार करने, सम्पूर्ण मेला स्थल की साज-सज्जा, मेले के बैकड्रॉप, ध्वनि प्रसारण, एकरिंग, बिजली, पानी व्यवस्था चौकीदारी (सुरक्षा व्यवस्था) पार्किंग व्यवस्था, मेले की थीम, बच्चों के खेलने हेतु निःशुल्क किड्स जोन, मेले मॉनेटरिंग व्यवस्था हेतु सी.सी.टी.वी कैमरे एवं अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था की बोली के लिए निम्नलिखित नियम एवं शर्तें होगी:-

1. सहकारी विभाग एवं राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर द्वारा जवाहर कला केन्द्र, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर के दक्षिणी परिसर पर आयोजित किये जा रहे राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला मई, 2015 दिनांक 21.05.2015 से 26.05.2015 तक आयोजित सहकार मसाला मेले हेतु पवेलियन के अर्न्तगत 10 गुणा 10 साईज की आक्टोनम स्टॉल्स का निर्माण पाइप पाण्डाल पद्धति से वाटरप्रूफिंग सहित करनी होगी तथा स्टाल्स की ऊंचाई 10 फीट (तीन मीटर) एवं छत की ऊंचाई 13 फीट होगी, स्टालों के आगे 15 फीट लम्बाई में पाइप पाण्डाल पद्धति से छाया की व्यवस्था करनी होगी। सभी पवेलियन एवं स्टॉल्स को संतोषजनक स्थिति में तैयार कर दिनांक 20.05.2015 को दोपहर 3:00 बजे तक आयोजकों को अवगत कराना होगा।
2. उक्त व्यवस्था उद्घाटन समारोह दिनांक 21.05.2015 से समापन समारोह दिनांक 26.05.2015 तक करनी होगी।
3. मेला कार्यक्षेत्र में निर्देशित सामान निर्धारित अवधि में सप्लाई करना होगा। सामान यदि समय पर सप्लाई नहीं किया जाता है तथा निर्धारित स्तर का नहीं होता है तो नियमानुसार कार्यवाही एवं अमानत राशि जब्त करने का अधिकार मेला कमेटी के पास सुरक्षित रहेंगा।
4. निम्न स्तर का सामान मसाला मेले हेतु स्वीकार नहीं किया जावेगा। निविदादाता को सामान अविलम्ब बदल कर नया सामान उपलब्ध कराना होगा, जिसका लोडिंग व अनलोडिंग व्यय निविदादाता को स्वयं वहन करना होगा तथा सामान लाने व ले जाने का किराया भी फर्म को ही वहन करना होगा।
5. सामान हेतु किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।
6. यदि किसी सामान की आवश्यकता नहीं होगी तो उक्त सामान उसी दिन लौटा दिया जावेगा जिसका किराया देय नहीं होगा।
7. विद्युत लाइनें, ट्यूब लाइटें, बल्ब हेलोजिन तथा अन्य विद्युत से संबंधित कार्य फर्म को अपने तकनीकी कर्मचारियों से निर्देशित स्थान पर कराने होंगे। बिजली का

सहकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर

राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला मई, 2015

- कनेक्शन फर्म द्वारा स्वयं प्राप्त किया जावेगा तथा विद्युत निरीक्षक कार्यालय से एवं अग्निशमन कार्यालय से वांछित कार्यवाही बोलीदाता को स्वयं करनी होगी।
8. विद्युत व्यवस्था बनाये रखने के लिए 24 घण्टे फर्म को अपने तकनीकी कर्मचारी मेला स्थल पर रखने होंगे एवं पॉवर सप्लाई के लिए जनरेटर की व्यवस्था भी फर्म द्वारा उपलब्ध करायी जावेगी।
 9. किसी भी प्रकार के समान की क्षति के लिए आयोजक जिम्मेदार नहीं होंगे।
 10. सफल बोलीदाता को निविदा राशि की 5 प्रतिशत धरोहर राशि के रूप में जमा करानी होगी एवं नियमानुसार अनुबंध-पत्र निष्पादित करना होगा।
 11. राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले में 100 स्टॉलें 10X10 साईज की ओक्टोनाम स्टॉल्स का निर्माण करना प्रस्तावित है, इसके अतिरिक्त जरूरत पडने पर या न पडने पर 10 प्रतिशत स्टॉल्स घटाई व बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए आनुपातिक दरों से भुगतान किया जा सकेगा। निविदा फार्म में अंकित नोट व दिशा-निर्देश मान्य होंगे।
 12. बोलीदाता को अपनी तकनीकी बोली व वित्तीय बोली के रूप में दो पृथक-पृथक सील्ड लिफाफे में देनी होगी। लिफाफों में फर्म के नाम के साथ तकनीकी बोली या वित्तीय बोली (जिस प्रयोजनार्थ है) का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जावेगा। अर्नेस्टमनी का ड्राफ्ट/नकद जमा की रसीद तकनीकी बोली के लिफाफे में रखी जावे। तकनीकी बोली के साथ में पूर्ण अनुभव या तकनीकी व वित्तीय क्षमता का उल्लेख करते हुए तत्संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। वित्तीय बोली पर फर्म का सम्पूर्ण पैकेज के रूप में कार्य के लिए एक मुश्त देय राशि का आवश्यक रूप से उल्लेख करना होगा। वित्तीय बोली उन्हीं फर्मों की खोली जावेगी जो तकनीकी रूप से योग्य पाई जायेगी।
 13. बोली फार्म जमा कराने के साथ मेले की अनुमानित लागत रूपये 15 लाख के लिये अमानत राशि 30,000/- रूपये निविदा सूचना के अनुसार नकद या ड्राफ्ट द्वारा "उपहार कोष" राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के नाम से आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। चैक स्वीकार नहीं किये जावेगे। बोलीदाता को तकनीकी बोली के आधार पर मेले में लगाये जाने वाले स्टॉल्स तथा प्रयोग किये जाने वाले मेटेरियल इत्यादि का डिस्प्ले एवं "कॉन्फैड" नेहरू सहकार भवन, भवानी सिंह रोड, जयपुर पर करना होगा तथा संतोषजनक पाये जाने पर ही उनको तकनीकी रूप से योग्य फर्मों की सूची में शामिल किया जा सकेगा।
 14. सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जावेगी।
 15. सभी व्यवस्थाएँ अनुमोदित फर्म को मेला स्थल पर दिनांक 20.05.2015 को दोपहर 3:00 बजे तक पूर्ण कर आयोजकों को अवगत करवाना अनिवार्य होगा।
 16. बोली स्वीकृत करने या न करने का अधिकार मेला की उच्च स्तरीय समिति/बोली कमेटी के पास सुरक्षित रहेगा।
 17. राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला मई, 2015 के समाप्त होने के पश्चात् फर्म को मेला अवधि में की गई सम्पूर्ण व्यवस्था के क्रम में क्लेम की जाने वाली राशि का बिल मेला समापन तिथि के पश्चात् राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर को प्रस्तुत किया जाना होगा। मेले में प्रयोग की गई अतिरिक्त व्यवस्थाओं

सहकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर

राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला मई, 2015

और वस्तुओं का अतिरिक्त बिल समापन तिथि से अगली कैलेण्डर तिथि में दिया जाना होगा। सभी बिलों का भुगतान राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर द्वारा "उपहार कोष" से किया जावेगा।

18. सामान लाने व ले जाने का ठेली भाडा बोलीदाता को स्वयं ही वहन करना होगा।
19. बोलीदाता को राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला मई, 2015 में अतिरिक्त व्यवस्थाओं सहित समस्त सामान की गणना एवं निरीक्षण अधिकृत अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 21.05.2015 तक अनिवार्य रूप से करानी होगी व लिखित में सूचना दिनांक 21.05.2015 को देनी होगी, जिसका उसे भुगतान प्राप्त करना है अन्यथा विलम्ब की स्थिति में कमेटी द्वारा निर्धारित शास्ती लगाई जा सकती है।
20. राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला मई, 2015 में सुरक्षा हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले चौकीदार एक्स मिलिटरी मैन (अधिकतम आयु 55 वर्ष) होने आवश्यक है। 24 घण्टे के लिये तीन पारियों में कुल 24 व्यक्ति होना आवश्यक है तथा प्रत्येक पारी में दो महिला कर्मी होना आवश्यक है। पार्किंग व्यवस्था के संचालन हेतु 2 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराने होंगे।
21. बोलीदाता को राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला मई, 2015 में की जाने वाली सम्पूर्ण व्यवस्था इवेन्ट मैनेजमेन्ट के रूप में करने हेतु पैकेज के रूप में एकमुश्त दरों का वित्तीय बिड के क्रमांक 1 से 31 तक का उल्लेख वित्तीय बोली में आवश्यक रूप से करना होगा जिसके आधार पर ही बिड के अनुमोदन का निर्णय लिया जायेगा। पैकेज के रूप में उल्लेखित एकमुश्त दरों में सभी प्रकार के कर दायित्व यथा सर्विस टैक्स/वैट यदि कोई हो शामिल माने जायेगे। इसके अतिरिक्त बोलीदाता को संपूर्ण मेला हेतु की जाने वाली व्यवस्था/कार्यों के लिए समस्त आइटम वाईज दरें दी जानी होगी ताकि मेले हेतु निविदा में उल्लेखित कार्यों की अतिरिक्त व्यवस्था/मात्रा के लिए भुगतान इन दरों पर एकमुश्त उल्लेखित दरों के भारत अनुपात के आधार पर किया जा सके।
22. मेले का कॉम्प्रीहेन्सिव बीमा यथा प्राकृतिक आपदा, चोरी एवं आगजनी, लुट आदि के लिए बीमा, 10 दिवस के लिये बोलीदाता को 1.00 करोड़ रूपए की राशि का सहकार मसाला मेला मई, 2015 राजस्थान, जयपुर के नाम से कराना होगा। जिसकी प्रीमियम राशि बोलीदाता को वहन करनी होगी। बोलीदाता द्वारा निविदा जमा कराने के साथ मेले का ले आउट भी संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।
23. बोलीदाता को राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय सरकारी कार्यालय, संस्थाओं एवं अन्य संस्थाओं में पूर्व में किये गये कार्यों/इवेन्टमैनेजमेंट का अनुभव प्रमाण पत्र भी संलग्न कर प्रस्तुत करेंगे। बोलीदाता फर्म का इवेन्ट के रूप में कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है तथा बोलीदाता के गत 1 वर्ष के चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स द्वारा अंकेक्षित लेखों की ऑडिट रिपोर्ट/अंतिम लेखों की प्रति संलग्न करनी होगी अन्यथा बोली पर विचार नहीं किया जायेगा।
24. जिला प्रशासन, जवाहर कला केन्द्र, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर के दक्षिणी परिसर के मालिक एवं मेला कमेटी द्वारा मेला ग्राउण्ड व पाण्डाल/इवेन्ट सम्बन्धी जारी समस्त निर्देशों की अनुपालना का दायित्व बोलीदाता का होगा।

सहकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर

राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला मई, 2015

25. बोलीदाता को सीजफायर उपकरणों की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करनी होगी।
26. बोलीदाता को आयकर/पैन नम्बर/बिक्री कर/सर्विसकर में रजिस्टर्ड होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित फोटो प्रतियाँ तकनीकी बोली के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करनी होगी अन्यथा बोली पर विचार नहीं किया जायेगा। आयकर विभाग द्वारा दिया गया पैनकार्ड नम्बर व्यक्ति के नाम या बोलीदाता फर्म के नाम से होना चाहिए।
27. मेले की सम्पूर्ण अवधि के दौरान 24 घण्टे मेला स्थल पर अग्निशमन यंत्रों की निर्देशानुसार उचित व्यवस्था करनी होगी।
28. बोलीदाता को प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर मय सील के बोली जमा करानी होगी।
29. मेला समाप्ति के पश्चात् सम्पूर्ण मेला परिसर की सफाई करवाकर मेला स्थल प्रबन्धक को संभलवाना होगा अन्यथा सफाई व्यवस्था हेतु लगने वाली राशि की कटौती बोलीदाता के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बिल से कर ली जावेगी।
30. बोलीदाता को पार्किंग की व्यवस्था निःशुल्क अपनी जिम्मेदारी पर करनी होगी।
31. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के अध्याय 2 के बिन्दु संख्या 7 बोली लगाने वालों की अर्हताएँ के उप बिन्दु 2 के अन्तर्गत –

(ग) बोली लगाने वाला दिवालिया, रिसीवर के अधीन शोधन अक्षम नहीं होगा या परिसमापन नहीं कर रहा होगा, न किसी न्यायालय या किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रशासित कार्यकलाप रखेगा, न अपने कारोबार के क्रियाकलाप निलम्बित रखेगा और न पूर्वगामी कारणों में से किसी के लिए भी विधिक कार्यवाही के अध्यक्षीन होगा।

(घ) अपने वृत्तिक आचरण या उपापन प्रक्रिया के प्रारम्भ के पूर्ववती तीन वर्ष की किसी कालावधि के भीतर कोई उपापन संविदा किये जाने के लिए अपनी अर्हताओं के बारे में मिथ्या कथन करने या दुर्व्यपदेशन सम्बन्धी किसी दांडिक अपराध के सम्बन्ध में न तो स्वयं, और न उनके निदेशक और अधिकारी दोष सिद्ध हुए हैं, या विवर्जन कार्यवाहियों के अनुसरण में अन्यथा निरर्हित हुए हैं।

(ङ) ऐसे हित, जो पूर्व अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विहित और विनिर्दिष्ट किये जायें, के प्रति कोई विरोध नहीं रखेगा, जो उचित प्रतियोगिता को तात्त्विक रूप में प्रभावित करें।

32. यदि कोई विवाद होता है तो उसका निर्णय रजिस्ट्रार सहकारी विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा किया जावेगा, जो अन्तिम होगा एवं सभी को मान्य होगा।

उपरोक्त निविदा से संबंधित शर्तें मैंने/हमने पढ़ ली हैं और यह शर्तें मुझे/हमें स्वीकार हैं।